न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं0 2013/00211 (154/2013) 223 आरटीएक्ट

उदयपाल पुत्र श्री धोंकलराम, जाति बिश्नोई, निवासी चक 7 के.एस.पी., पो0ऑ0 चक 4 के.एस.पी. तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ। –अपीलाण्ट

बनाम

1. रिछपाल पुत्र श्री धोंकलराम जाति बिश्नोई निवासी चक 7 केएसपी पो0ऑ0 चक 4 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. ताराचंद पुत्र मामराज
3. कृष्णचंद पुत्र मामराज } अकवाम बिश्नोई निवासी चख्क 7 केएसपी पा.ओ. चक
4. रामेश्वरी पत्नी राममराज 4 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। –रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2013 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्र0 सं0 612/2013 शीर्षक रिछपाल बनाम ताराचन्द आदि

उपस्थितः–
श्री बलविन्द्र सिह अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1
श्री रामानन्द अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 4

निर्णय दिनांकः– 23.12.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनिय में प्रस्तुत किया। वादपत्र की मद संख्या 4 में वर्णित भूमि को वादी प्रतिवादीगण का आपसी सहमति से विनिमय होने का कथन करते हुए कब्जा काश्त बताया। प्रश्नगत भूमि वादीगण के नाम नही होने से व समस्त आरजी प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज होने से वादीगण खातेदारी अधिकारों का हनन होना बताया। वादी ने एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 वादपत्र की दफा 4 के अनुसार अपनी आराजी के खातेदार घोषित करने एवं राजस्व रिकार्ड में अंकन करने एवं बैंक

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

ऋण को यथावत रखने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादीगण ने राजीनामा प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने घरेलू बंटवारा को आधार बनाकर वाद प्रस्तुत किया है। जबकि ऐसे घरेलू बंटवारा के संबंध में कोई विशिष्ट अभिवचन नहीं किये गये थे ऐसा बंटवारा कब हुआ व ऐसे बंटवारे में परिवार के सभी सदस्यगण पक्षकार थे अथवा नहीं है। चक 7 केएसपी के प. नं. 172/308 मु0 नं0 35 के किला नं. 19 ता 24 प. नं. 172/309 मु0 नं0 44 किला नं. 1 ता 4 की कुल 2.530 हैक्टर अर्थात 10 बीघा कृषि भूमि को सम्मिलित करते हुए 12 बीघा भूमि अपीलाण्ट को घरेलू बंटवारा में वर्ष 1975 से प्राप्त हुई है। इसी बंटवारा को प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अभिस्वीकृत किया है। दिनांक 31.03.2000 को इस परिवार के सदस्यगण व करीबी रिश्तेदारों की उपस्थिति में प्रश्नगत भूमि को सम्मिलित करते हुए अपीलार्थी की 32 बीघा भूमि हिस्से में आना स्वीकार की गई है। सिंचाई विभाग का अभिलेख जैसे कि मांग पत्र, सिचाई शुल्क की रसीदात एवं पासबुक, बेटरमेंट फीस अपीलार्थी के नाम से कायम होती रही है। अधिशाषी अभियन्ता पीलीबंगा खण्ड हनुमानगढ के द्वारा जारी की गई पास बुक वर्ष 1975–76 से लेकर बाद तक के इन्द्राजात किये हुए हैं। पानी की बारी बांधने की कार्यवाही भी जेरेकार है। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 ने तथ्यों को छुपा कर अपीलाधीन आदेश पारित करवाया हैं। अपीलार्थी ने पत्यर्थीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में इसी भूमि के संबंध में एक वाद पेश किया हुआ है जिसका इनको पूर्व से ही ज्ञान रहा है। अधीनस्थ न्यायालय को भी अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत वाद को समेकित करते हुए इसका एक साथ निर्णय करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने सूरतगढ तहसील के रकबे का क्षेत्राधिकार नहीं होने के उपरान्त भी अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया है। अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण के दरम्यान चल रहे वाद संख्या 312/2013 के बारे में कोई ज्ञान पूर्व में नहीं हुआ था। दिनांक 24.08.2013 को पटवारी हल्का ने बताया कि अपीलार्थी के कब्जा काश्त की भूमि का इन्तकाल प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम दर्ज करने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त हुए है। इस पर अपीलार्थी ने इस तथ्य की जानकारी जब प्राप्त की तब अपीलार्थी को पता चला कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री पारित कर दी है। जिस पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में 1975 से चली आ रही है रेस्पोडेण्ट ने दुर्भिसंधी

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

करते हुए अपीलाण्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है। इस निर्णय व डिक्री से अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार है। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र, धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमाये जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने प्रस्तुत किया था। राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत भूमि रेस्पोडेण्टान के नाम से दर्ज है और रेस्पोडेण्टान ने अपने नाम से दर्ज भूमि की राजीनामा के आधार पर अपने पक्ष में डिक्री करवाई है। अपीलाण्ट का इस भूमि का क्या वास्ता है। अपीलाण्ट इस भूमि का अभिलिखित खातेदार काश्तकार नहीं है। कब्जे के आधार पर अपीलाण्ट का कोई अधिकार नहीं बनता है। ऐसे तो हर कोई कहदेगा की इस भूमि पर हमारा कब्जा है हमें खातेदारी दी जावे। अपीलाण्ट को राजीनामा से कोई आपत्ति है तो वह सिविल कोर्ट में इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर सकता है। अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि उसे घरेलू बंटवारा में मिली थी जबकि वह रिकार्डेड खातेदार ही नहीं है उसे घरेलू बंटवारा में कैसे मिली उसका नाम राजस्व रिकार्ड में क्यों नही है इस तथ्य का अपीलाण्ट ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अपीलाण्ट को इस भूमि से कोई लेना देना नहीं है। वह एक प्रभावित पक्षकार नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 4 के अधिवक्ता ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की बहस का समर्थन करते हुए अपील अपीलाण्ट खारिज करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

8. धारा 5 मियाद अधिनियम के तथ्यों के आधार पर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

9. अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा का वाद रेस्पोडेण्ट सं0 1 रिछपाल ने प्रस्तुत किया था। रेस्पोडेण्ट ने वाद में चक नं. 7 केएसपी के प. नं. 172/308 मु0 नं0 35 किला नं. 19 ता 24, प0 नं0 172/309 मु0 नं0 44 किला नं. 1 ता 4 कुल 2.530 है0 भूमि पर अपना कब्जा काश्त बताते हुए घोषणा एवं राजस्व रिकार्ड में अंकन करने एवं वादी व प्रतिवादीगण ने काश्त की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि की आपसी सहमति से विनिमय

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किया हुआ बताते हुए वादी के नाम की चक नं. चक 7 केएसपी की प्रश्नगत भूमि के कब्जा काश्त में होने का कथन करते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने का अनुतोष मांगा था। वादी एवं प्रतिवादीगण अर्थात रेस्पोडेण्ट्स उक्त भूमि के अभिलिखित खातेदार काश्तकार हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जमाबंदी ग्राम 7 केएसपी तहसील टिब्बी सम्वत 2069–72 संलग्न है जिसमें खाता संख्या 34प. नं. 171/306, 169/306, 170/307, 171/307, 172/307, 172,/308, 172/309 की भूमि रामेश्वरी धर्मपत्नी स्व मामराज, ताराचन्द वल्द मामराज ब0हि0ब0 कृष्ण वल्द मामराज 6. 159 है. कौम बिश्नोई सा0 शेरेकां के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसी प्रकार चक 7 केएसपी तहसील टिब्बी की जमाबंदी संवत 2069–72 खाता संख्या 36 प. नं. 169/307, 171/307, 172/307, 172/308, 171/308 की भूमि रिछपाल वल्द धोंकल कौंम बिश्नोई सा0 शेरेकां के नाम खातेदार काश्तकार है। इस रिकार्ड से स्पष्ट कि रेस्पोडेण्ट्स अभिलिखति खातेदार काश्तकार हैं। अभिलिखित खातेदार काश्तकारों ने यदि राजीनामा के अनुसार अपनी कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाई है तो इससे अपीलाण्ट किस प्रकार प्रभावित हुआ है, जबकि वह इस भूमि में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार ही नहीं है। अपीलाण्ट ने प्रश्नगत भूमि पर अपनी कब्जा काश्त बताई है, जिसके लिए वह अलग से धारा 88 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार रेस्पोडेण्ट्स अभिलिखित खातेदार काश्तकार हैं उन्हें अपने हक हिस्से अनुसार खातेदारी अधिकार घोषित करवाने का अधिकार हैं। हम अधिनस्थ न्यायालय में ऐसी कोई विधि त्रूटि नहीं पाते हैं जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखे जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.08.2013 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.10 18:06:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: